न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्यालय गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर

क0सं0	पूर्व पत्रावली सं0	दर्ज दिनांक	वर्तमान पत्रावली सं0	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	15/2023	12.09.23	23/25(2025/23)	15.01.2025	22.12.2025	1 लगायत 3

1– चिरंजी पुत्र सुरज्ञान जाति बैरवा निवासी भींटोली– मृतक–
1/1–राजन पुत्र स्व० चिरंजी जाति बैरवा निवासी ग्राम भींटोली तहसील बामनवास
1/2–करण पुत्र स्व० चिरंजी जाति बैरवा निवासी ग्राम भींटोली तहसील बामनवास
1/3–अर्जुन पुत्र स्व० चिरंजी जाति बैरवा निवासी ग्राम भींटोली तहसील बामनवास
2– रमेश पुत्र सुरज्ञान जाति बैरवा निवासी ग्राम भींटोली तहसील बामनवास
3– थानसिंह पुत्र सुरज्ञान जाति बैरवा निवासी ग्राम भींटोली तहसील बामनवास
4–विशनी पत्नि सुरज्ञान –मृतक– जाति बैरवा निवासी ग्राम भींटोली तहसील बामनवास
5– मुनीम पुत्र चिरंजी जाति बैरवा निवासी ग्राम भींटोली तहसील बामनवास
6–विजयसिंह पुत्र चिरंजी जाति बैरवा निवासी ग्राम भींटोली तहसील बामनवास –अपीलार्थीगण

बनाम

1–छोटी पत्नि स्व० गंगल्या जाति बैरवा निवासी ग्राम भींटोली तहसील बामनवास
2– किशोरी पुत्र गंगल्या जाति बैरवा निवासी ग्राम भींटोली तहसील बामनवास
3–पप्पू पुत्र गंगल्या जाति बैरवा निवासी ग्राम भींटोली तहसील बामनवास
4– काना पुत्र गंगल्या जाति बैरवा निवासी ग्राम भींटोली तहसील बामनवास
5– देवीलाल पुत्र सुरज्ञान जाति बैरवा निवासी ग्राम भींटोली तहसील बामनवास
6–वनविभाग जरिये वन अधिकारी बामनवास ।
7– तहसीलदार तहसील बामनवास । –रेस्पोडेन्टान–

उपस्थित–
अपीलान्ट की ओर से– विद्वान अभिभाषक श्री रामदयाल त्रिवेदी
रेस्पोडेन्ट की ओर से– पेरोकार सरकार

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम,1956

निर्णय

यह अपील तहसील बामनवास के नामान्तकरण सं0 439 दिनांक 12.05.2017 वाके ग्राम भींटोली से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की गयी। उक्त नामान्तकरण सं0 439 दिनांक 12.05.2017 द्वारा ग्राम भीटोली में स्थित भूमि ख0नं0 4099/4064 रकबा 0.72 है0, ख0नं0 4101/406[illegible] 0.34 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.06 है0 भूमि अपीलार्थी की खातेदारी से वन विभाग [illegible] नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। उक्त नामान्तकरण से अप्रसन्न होकर अपील प्रस्तुत की गई [illegible] अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.01.13 16:03:05 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
मु0नं0 23/25 उनवान चिरंजी वगै0 बनाम छोटी वगै0

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गई। रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगायत 7 बाबजूद सूचना अनुपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं0 7 की और से पेरोकार सरकार उपस्थित होने पर तथा अदालत मातहत की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए दौराने बहस निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट सं0 5 देवीलाल की खातेदारी की भूमि खं0नं0 75/4064, 4099/4064, 4101/4064 वाके ग्राम भीटोली तहसील बामनवास में स्थित है। इस भूमि से अन्य किसी का कोई वास्ता नहीं है। इस भूमि का नामान्तकरण बिना अपीलार्थीगण को सूचित किये प्रत्यर्थी सं0 6 वन विभाग के नाम दिनांक 12.05.2016 को दर्ज कर दिया। भूमि खं0नं0 75/4064 की जमाबन्दी की प्रार्थीगण को आवश्यकता हुयी तो उसने दिनांक 02.06.2017 को तहसील बामनवास से नकल प्राप्त की ,उस नकल को देखने से ज्ञात हुआ कि इस भूमि का नामान्तकरण सं0 439 दिनांक 12.05.2017 के द्वारा जंगलात वन विभाग के हक में नामान्तकरण खोल दिया गया है। इस पर प्रार्थीगण ने दिनांक 06.06.2017 को नामान्तकरण सं0 439 दिनांक 12.05.2017 तहसीलदार बामनवास के विरूद्ध प्रस्तुत की है। विवादित नामान्तकरण खिलाफ कानून एवं रूयेदाद मिसल होने के कारण निरस्तनीय है। उक्त नामान्तकरण तस्दीक किये जाने से पूर्व अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थीगण को सुनवायी का कोई अवसर नहीं दिया गया है। इस प्रकार बिना सूचना दिये सुनवायी का अवसर खोला व तस्दीक किया नामान्तकरण निरस्त किये जाने योग्य है। भूमि खं0नं0 75/4064 रकबा 2.12 है0 में अपीलार्थीगण सं0 1 लगायत 6 तथा प्रत्यर्थी सं0 5 देवीलाल की खातेदारी में दर्ज थी, उसके बिना सुनवायी खं0नं0 4099/4064, 4101/4064 बनाये व अपीलार्थीगण के व प्रत्यर्थी सं0 5 देवीलाल के नाम दर्ज किये गये तथा खं0नं0 4098/4064 , 4100/4064 प्रत्यर्थी सं0 1 लगायत 5 के नाम दर्ज किये गये जबकि पूर्व में कभी किसी विभाजन आदेश से भूमि खं0नं0 75/4064 का विभाजन नहीं हुआ ,फिर भी पता नहीं उक्त इन्द्राज किस प्रकार किया गया है। इस प्रकार नामान्तकरण की समस्त कार्यवाही बिना अधिकार व बिना सुनवायी के की गयी है, साथ ही अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील स्वीकार कर नामान्तकरण सं0 439 दिनांक 12.05.2017 वाके ग्राम भींटोली निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

पेरोकार सरकार ने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस का खण्डन करते हुए दौराने बहस निवेदन किया कि उक्त नामान्तकरण [illegible] अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 28.04.2008 की पालना में तस्दीक किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि व अनियमतिता नहीं है, साथ ही पेरोकार सरकार ने अपील अपीलार्थी अस्वीकार कर नामान्तकरण सं0 439 दिनांक 12.05.2017 वाके ग्राम भींटोली यथावत रखे जाने हेतु निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.01.13 16:03:05 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
मुं0नं0 23/25 उनवान चिरंजी वगै0 बनाम छोटी वगै0

उभय पक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अदालत मातहत की पत्रावली में संलग्न नामान्तकरण सं0 439 दिनांक 12.05.2017 के साथ उप जिला कलेक्टर बामनवास के पत्रांक रीडर/एसपी–1 दिनांक 12.05.2016 तथा न्यायायल राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 28.04.2008 की प्रति संलग्न है। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 28.04.2008 के अनुसार " अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा निर्णय व डिक्री न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास दिनांक 18.04.2007 निरस्त किये जाते है एवं भू प्रबन्ध विभाग द्वारा अपीलान्ट के आवंटन को जिला कलेक्टर द्वारा निरस्त करने के उपरान्त भी वन विभाग की भूमि पर खातेदारी के अंकन किये गये है, उन्हे निरस्त किया जाता है, अतः इन अंकनों को रेकार्ड से कलमजन किया जावे तथा आराजी को पूर्ववत वन विभाग के नाम अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है ।"

अतः परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाकर नामान्तकरण सं0 439 दिनांक 12.05.2017 वाके ग्राम भींटोली यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.01.13 16:03:05 IST
Reason: SelfAttested